रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 1985/श्रावण 14, 1907
No. 375] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 1985/SRAVANA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जून 1985

अधिसूचना

सा आ 573 (अ)—जबकि 9 मई, 1985 को भारत सरकार और लाग आफ अरब स्टेट्स के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है;

और जबकि, पत्रों के उल्लिखित आदान-प्रदान के अनुसरण में यह आवश्यक है कि लाग आफ अरब स्टेट्स के मिशन के कार्यालय, इसके मुख्य प्रतिनिधि तथा उप मुख्य प्रतिनिधि और इसके गैर भारतीय कर्मचारियों को छूट और सुविधाएं, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की जाएं जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की अनुसूची में दी गई हैं,

अतः अब संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 30 सितंबर, 1981 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. 11/451/79 (16/8) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के अनुसूची में निर्धारित प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लाग आफ अरब स्टेट्स के कार्यालय इसके मुख्य प्रतिनिधि, उप मुख्य प्रतिनिधि और इसके गैर-भारतीय कर्मचारियों पर उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक पत्रों के आदान-प्रदान में निर्धारित और नीचे उद्धृत छूट एवं सुविधाओं, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को लागू करना आवश्यक हो।

लाग आफ अरब स्टेट्स मिशन के कार्यालय को दी गई छूट एवं सुविधाएं –

(क) दिल्ली संघ क्षेत्र में सिर्फ कार्यालय के कामकाज में इस्तेमाल का जानेवाला वस्तुओं की सरकारी खरीद पर बिक्री कर से छूट।

(ख) विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित मात्रा में सरकारी कारों के लिए पैट्रोल के क्रय पर उत्पाद शुल्क से छूट।

(ग) विदेश मंत्रालय के अनुमोदन से खरीदी गई सरकारी सम्पत्तियों पर, सेवा प्रभारों को अदायगी को छोड़कर, नगर करों से छूट।

(घ) सरकारी आयात पर सीमा शुल्क से छूट।

(च) उन शर्तों के अधीन कार्यालय साज सामान और प्रक्रिया सम्बन्धी वस्तुओं का उपयुक्त मात्रा में आयात/क्रय उन शर्तों के अनुसार जो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, प्रत्येक वस्तु के बारे में निर्धारित करे या समय-समय पर लागू करे।

(छ) एक मोटर गाड़ी का आयात।
मोटर गाड़ी तथा अन्य मदों को प्राप्त करना और उनका निपटान/बिक्री विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति

से और समय-समय पर संशोधित विदेश विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नियमावली, 1957 के अधीन होगी ।

II. लीग आफ अरब स्टेट्स मिशन के गैर-भारतीय कर्मचारियों को दी गई उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार :—

(क) गैर-भारतीय व्यक्तियों द्वारा अपनी सरकार हैसियत में बोले या लिखे गए शब्दों और की गई सभी कार्रवाइयों के संबंध में कानूनी प्रक्रिया से उन्मुक्ति ।

(ख) लीग आफ अरब स्टेट्स के मिशन में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वेतनों और परिलब्धियों पर कराधान से छूट ।

(ग) राष्ट्रीय सेवा के दायित्वों से उन्मुक्ति ।

(घ) आप्रवासन प्रतिबंधों और विदेशी पंजीकरण से उन्मुक्ति ।

(च) विनिमय सुविधाओं के संबंध में वह विशेषाधिकार जो तुल्य दर्जे के कर्मचारियों को प्रदान किए गए हैं, जो भारत में राजनयिक मिशनों का हिस्सा हैं ।

(छ) राष्ट्रीय संकट के समय प्रत्यावर्तन की वही सुविधाएं जो राजनयिक दूतों को दी जाती हैं ।

(ज) मंत्रालय के प्रशासनिक मानदंडों के अनुसार खाद्य और पेय सामग्री का शुल्क मुक्त आयात (प्रत्येक समय जो सामान आयात किया जाए उसका पूरा ब्यौरा तथा विवरण देते हुए सीमा शुल्क से छूट के लिए विदेश मंत्रालय को आवेदन-पत्र भेजा जाए) ।

(झ) अपनी कार्य अवधि के दौरान एक मोटर गाड़ी का शुल्क मुक्त आयात/क्रय इस शर्त पर कि यह समय-समय पर यथा संशोधित विदेश विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नियमावली, 1957 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति से बेचे/निपटाए जाएंगे ।

(ट) निजी सामान के प्रथम आगमन आयात पर सीमा शुल्क से छूट ।

III. लीग आफ अरब स्टेट्स के मिशन के मुख्य प्रतिनिधि और उप मुख्य प्रतिनिधि को प्रदान की गई उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार :—

उपर्युक्त उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के अतिरिक्त मुख्य प्रतिनिधि और उप मुख्य प्रतिनिधि को उनके स्वयं के लिए, उनके पति/पत्नियों और अप्रवयस्क बच्चों को वही उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार, छूट और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राजनयिक दूतों को दी गई हैं ।

इस बात पर सहमति हुई कि लीग आफ अरब स्टेट्स का मिशन दिल्ली स्थित लीग आफ अरब स्टेट्स के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके आगमन और भारत से उनके अन्तिम रूप से प्रस्थान की सूचना विदेश मंत्रालय, भारत को देगा ।

[सं. डी-II/451/79 (16/8)]

प्रेम कुमार बधवार, नयाचार प्रमुख

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 27th June, 1985

NOTIFICATION

S.O. 573(E).—Whereas letters have been exchanged between the Government of India and the League of Arab States on 9 May, 1985;

And whereas, in pursuance of the aforesaid exchange of letters, it is necessary to accord to the Office of the League of Arab States Mission, its Chief Representative and Deputy Chief Representative and to its non-Indian officials, exemptions and facilities, privileges and immunities similar to those contained in the Schedule to the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), and in supersession of the Government of India notification No. D-II/451/79/1618) of 30th April, 1981, the Central Government hereby declares that the provisions set out in the Schedule to the said Act shall, to the extent it is necessary to give effect to the exemptions and facilities, privileges and immunities set out in the exchange of letters and reproduced here below, apply mutatis mutandis to the Office of the League of Arab States, its Chief Representative and Deputy Chief Representative and to its non-Indian officials.

I. Exemptions and Facilities Extended to the Office of the League of Arab States Mission :—

(a) Exemption from sales tax on official purchases, for the use of their office only, made in the Union Territory of Delhi.

(b) Exemption from excise duty on petrol purchase for official cars subject to the quantitative limits as prescribed by the Ministry of External Affairs.

(c) Exemption from municipal taxes except the payment of service charges on the official properties purchased with the approval of the Ministry.

(d) Exemption from customs duty on official imports.

(e) Import/purchase of reasonable quantities of articles of office equipment and process subject to the terms and conditions which the Government of India in the Ministry of External Affairs may impose in each case or may apply from time to time.

(f) Import of one motor vehicle. Possession and disposal/sale of the motor vehicle and other items will be only with the prior permission of the Government of India in the Ministry of External Affairs and subject to the Foreign Privileged Persons Rules, 1957, as amended from time to time.

II. Immunities and Privileges Extended to Non-Indian Officials of the League of Arab States Mission :

(a) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity.

(b) Exemption from taxation on the salaries and emoluments received by the officials from the League of Arab States Mission.

(c) Immunity from national service obligations.

(d) Immunity from immigration restrictions and alien registeration.

(e) The same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable ranks forming part of diplomatic Missions in India.

(f) The same repatriation facilities in time of national crisis as diplomatic envoys.

(g) Import of articles of food and drinks, duty free, in accordance with the administrative norms of the Ministry (application to be made to the Ministry of External Affairs for exemption from customs duty indicating full details and the particulars of the goods each time a consignment is imported).

(h) Import|purchase free of duty of one motor vehicle during the tenure on the condition that the same will be sold|disposed of with the permission of the Government of India in accordance with the Foreign Privileged Persons Rules, 1957, as amended from time to time.

(i) Exemption from customs duty on first arrival import of personal effects.

III. Immunities and Privileges Extended to the Chief Representative and Deputy Chief Representative of the League of Arab States Mission.

In addition to the immunities and privileges specified above, the Chief Representative and the Deputy Chief Representative shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children, the immunities and privileges, exemptions and facilities, accorded to diplomatic envoys in accordance with International Law.

It is agreed that the League of Arab States Mission will notify the Ministry of External Affairs of the Government of India of the appointment of officials to the League of Arab States Mission in Delhi and of their arrival and their final departure from India.

[No. D-II|451|79(16/8)]

PREM K. BUDHWAR, Chief of Protocol.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985